न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 14 / 2012

आदेश

28.06.2021

05.10.2021कोविड–19 के कारण अभिलेख कार्यालय से आज प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों की ओर से हाजरी है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामानंद सिंह उपस्थित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामानंद सिंह दिनांक 13.11.2019 आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन और इस आवेदन के आलोक में दिनांक 05.10.2021 को छोटी साह पिता स्व0 महावीर साह के तरफ से दाखिल किया गया सत्यापन आवेदन को संचालित करते हुए यह अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 07 मसो0 शारदा देवी पति स्व0 मोहन साह की मृत्यु दिनांक 16.09.2019 को हो गयी है। इस वाद के प्रतिवादी सं0 07 के विधिक वारिसान मात्र एक लड़की है जिनका नाम व पता निम्न प्रकार हैः–सुनैना देवी पे0 स्व0 मोहन साह पति महेन्द्र साह, साकिन कोपा, थाना काशनगर, जिला सहरसा है। आगे कथन किया है इस वाद के टाईटिल काउज पर से प्रतिवादी संख्या 07 मसो0 शारदा देवी का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करना न्याय हित में है। अतः निवेदन है कि इस आवेदन के आलोक में प्रतिवादी सं0 07 का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

दूसरी तरफ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार न्यायालय में उपस्थित हुए तथा मौखिक रूप से कथन किए कि प्रतिवादी सं0 07 की मृत्यु हो चुकी है। आगे प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में कथन किया गया है कि वादी के द्वारा दिनांक 13.11.2019 का सब्सटीच्यूशन आवेदन विधि एवं तथ्य के अनुसार पोषणीय नहीं है। आगे कथन किया है कि प्रतिवादी सं0 07 मसो0 शारदा देवी की मृत्यु के सम्बंध में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है ना ही यह सब्सटीच्यूशन आवेदन के सर्पोट में सत्यापन है और ना ही शपथ पत्र ही वादी की ओर से दाखिल किया गया है। आगे कथन किया गया है उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वादी के आवेदन खारिज करने योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन भारी खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

लगातार.........

न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 14 / 2012

लगातार....

05.10.2021

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा आवेदन के आलोक में सत्यापन छोटी साह की ओर से आज दिनांक 05.10.2021 को दाखिल किया जा चुका है जिस पर छोटी साह के अंगूठे का निशान है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 13.11.2019 को स्वीकृत किया जाता है। और वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय सीमा के अन्दर प्रतिवादी सं0 07 मसो0 शारदा देवी का नाम वाद पत्र से विलोपित करते हुए उनके स्थान पर इनके विधिक वारिसान श्रीमति सुनैना देवी पे0 स्व0 मोहन साह पति महेन्द्र साह साकिन कोपा, थाना काशनगर, जिला सहरसा का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 16.11.2021 वास्ते अग्रिम क्रिया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश